भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *204

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

22 फाल्गुन, 1941 (शक)

सेवाएं/सुविधाएं जिनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है

***204. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सेवाओं/सुविधाओं के नाम क्या–क्या हैं, जिनके लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है;

(ख) उन सेवाओं/सुविधाओं के नाम क्या–क्या हैं, जिनके लिए सरकार आधार को आगे और अनिवार्य बनाने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार मतदाता पहचान पत्र की तरह आधार का उपयोग करने या आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का विचार रखती है; और

(घ) क्या सरकार "वन नेशन, वन आईडी कार्ड" (एक राष्ट्र, एक पहचान पत्र) लाने का विचार रखती है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से **(घ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

सेवाएं/सुविधाएं जिनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है के संबंध में दिनांक 12.3.2020 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *204 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) और **(ख)** : आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुसार केंद्र सरकार या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार किसी सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति, जिसके लिए व्यय भारत की समेकित निधि से किया जाता है अथवा उसकी प्राप्ति भारत की समेकित निधि अथवा राज्य की समेकित निधि के भाग से की जाती है, के लिए एक शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से यह अनिवार्य कर सकती है कि ऐसे व्यक्ति का अधिप्रमाणन किया जाए या ऐसा व्यक्ति आधार संख्या होने का साक्ष्य प्रस्तुत करे अथवा यदि किसी व्यक्ति के पास पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार संख्या नहीं है तो वह आधार में अपना नामांकन कराने के लिए आवेदन करे:

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है तो उसे सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्रदायगी के लिए पहचान का कोई अन्य वैकल्पिक और व्यवहार्य विकल्प दिया जाएगा ।

तदनुसार विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकार के विभाग आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अंतर्गत विभिन्न सब्सिडी, लाभों और सेवाओं की प्रदायगी के लिए अधिसूचनाएँ जारी करते हैं। 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार अन्य के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, छात्रवृत्ति योजनाओं, मनरेगा, उर्वरक सब्सिडी, एनएसएपी, पीएमएवाई इत्यादि सहित विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी की गई 299 योजनाओं को शामिल करते हुए कुल 164 अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं।

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा यथाविहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139कक में प्रावाधान किया गया है कि 1 जुलाई, 2017 से आयकर विवरणी भरने और स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करते समय आधार संख्या अथवा आधार आवेदन प्रपत्र की नामांकन आईडी उद्धरित करना अनिवार्य है।

(ग) : विधायी विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्वाचन नामावली को डेटा आधार प्रणाली से लिंक करने में समक्ष बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम, 1951 में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे कि त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली तैयार की जा सके और प्रविष्टियां की पुनरावृति को रोका जा सके।

(घ) : भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार गृह मंत्रालय के पास वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****